

प्रतिलिपि :- यह आदेश, आदेश पत्रिका में जो कि न्यायालय माखनलाल झोड़ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वारा **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र क्रमांक-बी.ए. 5/2018, धारा 439 दं.प्र.सं. के संदर्भ में आज दिनांक 15.01.2017 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :-

अनिल सोनी आयु 23 वर्ष पिता तारेन्द्र सोनी
निवासी-वार्ड नंबर 11 कुम्हारी मोहल्ला बैहर
तहसील बैहर जिला बालाघाट — — — — **आवेदक ।**
// **विरुद्ध** //

म.प्र.शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र-बैहर — — — — **अनावेदक ।**
— -0- —

{आदेश दिनांक 15/01/2018 की प्रतिलिपि}

आवेदक द्वारा सुश्री कमरुन्निशा सिद्धीकी एवं सुश्री कमला उईके अधिवक्ता उपस्थित ।

राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उपस्थित ।

द्वितीय जमानत आवेदन क्रमांक 5/2018 अंतर्गत धारा 439 के निराकरण हेतु न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर के न्यायालय का आर.सी.टी. क्रमांक 457/2017 का अभिलेख प्राप्त ।

यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र तर्क हेतु नियत है ।

द्वितीय जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए ।

आवेदक की ओर से सुश्री सिद्धीकी अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है, अपराध से कोई संबंध नहीं है, मिथ्या फंसाया गया है, जमानत पर रिहा होना चाहते हैं, शर्तों का पालन करेगा, इसी जिले का स्थायी निवासी है, अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है । आवेदक लगातार अभिरक्षा में रहा है उसके बाद भी चोरियां हुई हैं, उसके अभिरक्षा में रहने से चोरियां रुकी नहीं हैं, विचारण में सहयोग करेगा, द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा अन्य किसी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. में जमानत आवेदन विचाराधीन नहीं है, एम.जे.सी.आर. क्रमांक 23257/2017 आदेश दिनांक 21.12.2017 की छायाप्रति पेश कर निवेदन किया कि आवेदक की एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की गई है इस मामले में जमानत आवेदन स्वीकार कर आवेदक को जमानत पर आजाद किए जाने की याचना की ।

राज्य/अनावेदक की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक आद्यतन अपराधी है, घोर विरोध कर आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की है । श्री अभिजीत बापट के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 23257/2017 में जो आदेश पारित किया है वह थाना बैहर के अपराध क्रमांक 66/2017 से संबंधित है जबकि यह आवेदन अपराध क्रमांक 245/2016 से संबंधित है । समानता का सिद्धांत इस आवेदन के निराकरण हेतु लागू नहीं होता है ।

उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया ।

आरक्षी केन्द्र बैहर के अपराध क्रमांक 245/2016 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.वि. के अभिलेख का अध्ययन किया गया ।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2017 जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 54/2017 का निरस्त किया गया है, के पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य विधिक आधार न होने के कारण अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर के अभिलेख के साथ संलग्न की जावे।

यह आवेदन पंजी से निरस्त कर, परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

(माखनलाल झोड)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि :

1— न्यायालय:—श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/—

(माखनलाल झोड)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर